राजस्थान सरकार
वित्त (कर) विभाग

विषयः– राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत नगरीय स्थानीय निकायो द्वारा जारी पट्टो पर पॉलिसी के नामांकन के संबंध में।

उपरोक्त विषय में लेख है कि राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 के तहत संबंधित नगरीय निकाय में पंजीकृत निजी कृषि भूमिधारी/निजी विकासकर्ता/ निजी निवेशकर्ता द्वारा टाउनशिप स्थापित करने या Policy for Residential, Group Housing and other Schemes in Private Sector, 2010 (upto 10 Hectares) के तहत आवासीय ग्रुप हाउसिंग या अन्य परियोजना स्थापित करने पर उसके द्वारा जारी आवंटन पत्रों के आधार पर नगरीय स्थानीय निकायों द्वारा जारी पट्टों पर राज्य अधिसूचना कमांक प.2(37) वित्त/कर/2010–125 दिनांक 08.3.2011 के द्वारा स्टाम्प ड्यूटी में रियायत प्रदान की गई है लेकिन नगरीय स्थानीय निकायो द्वारा इन Policies के तहत जारी पट्टो पर इस आशय का अंकन नही किये जाने के कारण ऐसे पट्टो पर उक्त अधिसूचना के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी में रियायत का लाभ आम नागरिको को उपलब्ध कराने में कठिनाई आ रही है।

अतः राजस्थान टाउनशिप पॉलिसी 2010 या Policy for Residential, Group Housing and other Schemes in Private Sector, 2010 (upto 10 Hectares) के तहत जारी पट्टो पर स्टाम्प ड्यूटी की गणना में उपपंजीयको के स्तर पर संशय न हो तथा आम जनता को स्टाम्प ड्यूटी की रियायत का लाभ प्राप्त हो इसके लिए यह आवश्यक है कि इन पट्टो पर स्पष्ट रूप से अंकन किया जावे कि पट्टा इन Policies के तहत जारी किया गया है। कृपया इस संबंध में सभी नगरीय स्थानीय निकायो को आवश्यक निर्देश जारी कराने का श्रम करावे।

(प्रवीण गुप्ता)
शासन सचिव, वित्त (राजस्व)

[illegible] मुख्य सचिव,
[illegible] विभाग,
[illegible] सचिवालय, जयपुर

[illegible] प.2(31)वित्त [illegible] 2012
[illegible]